भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *274

13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

शिशु आहार में अतिरिक्त शर्करा

***274. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक स्विस एनजीओ की ऐसी ताज़ा रिपोर्ट से अवगत है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि नेस्ले के गेहूं-आधारित शिशु उत्पाद सेरेलैक में, जो भारत में छह महीने के बच्चों के लिए बेचा जाता है, प्रति खुराक 2.7 ग्राम अतिरिक्त शर्करा होती है जबकि इंग्लैंड और जर्मनी में ऐसा ही उत्पाद अतिरिक्त शर्करा रहित बेचा जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बात के दृष्टिगत कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) मोटापे और पुरानी बीमारियों जैसे जोखिमों को रोकने के लिए दो साल की उम्र से पहले अतिरिक्त शर्करा न देने की सलाह देता है, इस मामले पर सरकार का क्या रुख है;

(ग) देश में उपलब्ध शिशु आहार उत्पादों में अतिरिक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार की वैश्विक स्वास्थ्य सिफारिशों के अनुरूप शिशु आहार में अतिरिक्त शर्करा के लिए दिशानिर्देश तैयार करने या मानक स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

13 दिसंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.274 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण हेतु खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 में शिशुओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के खाद्य पदार्थों और फार्मूलों के लिए मानक विहित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य-पदार्थ) विनियम, 2020 में शिशुओं के खाद्य उत्पादों में शर्करा की विनिर्दिष्ट मात्रा वैश्विक मानकों नामत: कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के समान है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन खाद्य पदार्थों के लिए मानक स्थापित करते समय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिश को ध्यान में रखता है।

मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शिशुओं के लिए गेहूँ युक्त खाद्य उत्पादों में अतिरिकत शर्करा के संबंध में स्विस गैर-सरकारी संगठन द्वारा दी गई रिपोर्ट को स्वत: ही संज्ञान में लिया है। देश में शिशुओं के उक्त खाद्य उत्पाद के उत्पादन में लगे विनिर्माण प्रतिष्ठानों के 29.04.2024 और 30.04.2024 को निरीक्षण किए गए। खाद्य-उत्पाद की जांच के आधार पर, हर खुराक में अतिरिक्त शर्करा की मात्रा खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुरूप पाई गई।

****